वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त का कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम

Office of Senior State Medical Commissioner : Employees' State Insurance Corporation

'पंचदीप भवन', नंदानगर, इन्दौर–452 011 "Panchdeep Bhawan", Nandanagar, Indore-452 011

दूर०0731–2572560, ई–मेल <smc-mp@esic.nic.in>

क्र०: 18–यू/13/18/केशलेस/राचिआ/12 दिनांक– 03–09–12

परिपत्र

विषय :– **बीमितों/उनके परिजनों के द्वारा आकस्मिकता की स्थिति में चिकित्सा व्यवस्था।**

1. समस्त बीमितों/उनके परिजनों को आकस्मिकता की स्थिति में सर्वप्रथम् निकटस्थ क.रा. बीमा निगम/सेवाएँ के औषधालय/चिकित्सालय के आपातकालीन विभाग में सम्पर्क करना चाहिए;

2. यदि बीमित/उसके परिजनों की स्थिति अधिक खराब हो जाए और वे चिकित्सा/जाँच हेतु निगम द्वारा अनुबंधित किसी भी निजी चिकित्सालय में भर्ती होते हैं; तो भर्ती होने के 24 घण्टे के भीतर उन्हें, अपने निकटतम अपने क॰रा॰बी॰ निगम/क॰रा॰बी॰ सेवाएँ के चिकित्सालय को सूचित करके संदर्भ पर्ची प्राप्त कर उसे उपचार करवाए जा रहे निजी चिकित्सा संस्थान में जमा करवाएँ;

3. यदि बीमितों/उसके परिजनों की स्थिति इतनी अधिक गंभीर हो कि, वे किसी क॰रा॰बी॰ निगम के किसी औषधालय/चिकित्सालय अथवा कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अनुबंधित निजी चिकित्सालय तक भी नहीं जा सकें तो ऐसी स्थिति में वे किसी निकटस्थ निजी चिकित्सालय में जाकर अपना उपचार/जाँच करवा सकते हैं, किन्तु ऐसी स्थिति में भी उन्हें 24 घण्टे के भीतर निकटतम कर्मचारी राज्य बीमा निगम/कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ के चिकित्सालय को इसकी सूचना आवश्यक रूप से देनी होगी और उपचार के पश्चात् पुनर्भुगतान हेतु समस्त चिकित्सा प्रपत्रों के साथ उनसे सम्बन्धित कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय के समक्ष दावा प्रस्तुत करना होगा;

इस संबंध में, स्पष्ट किया जाता है कि, बीमितों एवम् उनके परिजनों के द्वारा आकस्मिकता की स्थिति में करवाई गई चिकित्सीय देखरेख/उपचार पर वहन किए गए समस्त व्ययों का, आकस्मिकता एवम् पात्रता अभिनिर्धारण पश्चात् सी॰जी॰एच॰एस॰ द्वारा अनुमत्य दरों पर पुनर्भुगतान किया जाएगा।

(डॉ॰ (श्रीमती) संगीता नारंग)
वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त–म॰प्र॰, इन्दौर

प्रतिलिपिः–

1. क्षेत्रीय निदेशक, क॰रा॰बी॰नि॰, क्षे॰का॰, नंदानगर, इंदौर;
2. चिकित्सा अधीक्षक, क॰रा॰बी॰ निगम आदर्श चिकित्सालय एवम् ओ॰डी॰ सेंटर, नंदानगर, इन्दौर;
3. संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ, संचालनालय, नंदानगर, इन्दौर की ओर उनके अधीनस्थ संचालित समस्त कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ के कार्यालयों/औषधालयों/चिकित्सालयों में सूचना–फलक पर चस्पा कर बीमितों एवम् उनके परिजनों को उक्त निर्देशों से अवगत कराएँ;
4. चिकित्सा सतर्कता अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय, 'पंचदीप भवन', नंदानगर, इंदौर;
5. संयुक्त निदेशक (सिस्टम), क॰रा॰बी॰ निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली की ओर इस निवेदन के साथ कि इस परिपत्र को निगम की वेबसाईटों पर अपलोड करने का कष्ट करें;
6. उप निदेशक (आई॰टी॰), क्षे॰का॰, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवम् इस अनुरोध के साथ इस परिपत्र को मध्य प्रदेश की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।